कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 09.11.2020

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–36 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:

01 थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. उदयभान पुत्र गोली राम नि0 शक्ति पुरवा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–336/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. मिन्टू सिंह पुत्र स्व0 सीता सरन सिंह नि0 सोहना थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–346/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. श्यामवती पत्नी राम प्रताप नि0 सीहा गॉव थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–280/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना को0 नगर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. अमरेश पाण्डेय पुत्र स्व0 किशोरी लाल नि0 पोटरगंज परेड सरकार थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–860/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

दहेज हत्या के आरोप मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। सोमवार जनपद गोण्डा के थाना को0 मनकापुर पुलिस ने दहेज हत्या के 02 आरोपी अभियुक्तों–01. व्यास मुनि निषाद पुत्र रामअवध, 02. रामअवध पुत्र सुबेदार निवासीगण ग्राम लिदेहना ग्रण्ट अवधूपुरवा थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा को थाना को0 मनकापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0–410/20, धारा 498ए.304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्तों ने दिनांक 08.11.2020 को वादिनी मीना पत्नी रामजियावन नि0 ग्राम परास पट्टी पुरवार थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा की लड़की को दहेज की बात को लेकर प्रताड़ित करते हुए फॉसी लगाकर जान से मार दिया था। जिसके सम्बन्ध में वादिनी द्वारा थाना मनकापुर में उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें मनकापुर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्तों को उनके घर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।